

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 अगस्त 2017—भाद्र 6, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच (96).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1-पांच (43), दिनांक 30 जून 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 4 में, अंक "60" के स्थान पर अंक "120" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच (96).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1-पांच (96), दिनांक 28 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 28th August 2017

No. F A 3-20-2013-1-V(96).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) read with sub-section (2) of the Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's notification No. F A 3-20-2013-1-FIVE-(43), dated 30th June 2017, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in para 4, for the figure '60', the figure '120' shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

943